8/12/16

पत्रावली पेश हुई। वकील अपहर्ज
अध० | अपहर्ज कराना द्वारा प्रस्तुत
कुर्जात रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की
गई है। अतः वादी ग्राम चिताणुकलां
तह. आमेर स्थित विवादित कृषि भूमि
खसरा नं. 1715 लगायत 1721, 1733 लगा.
1784/2362, 1875, 1782, 1876/2373 कुल
रकबा किता - 15 कुल रकबा 5.16 हैक्टे.
का तहसीलदार आमेर की कुर्जात रिपोर्ट
दि० 03.10.16 के अनुसार वादी का वाद
अन्तिम डिग्री किया जाता है। तदनुसार
डिग्री जारी हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज गोश्वारा
के बाद हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर
हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
([illegible] [illegible]) आमेर द्., जयपुर